

आय का एक निश्चित भाग, जाक उसक उपमाग रपा रर
है।

कर-वंचन तथा कर-परिहार की समस्या (Problems of Tax Evasion and Tax Avoidance)

कर-वंचन कर-परिहार अर्थात् करों को छिपाने तथा उनसे बचने की समस्या भारत के लिए न तो नई है और न ही विचित्र। यह समस्या संसार के लगभग सभी देशों में पायी जाती है। सन् 1920 में ही ब्रिटेन में आयकर पर विचार करने के लिए बनाये गये शाही आयोग (Royal Commission) ने देश में कर-वंचन की विद्यमानता की ओर ध्यान आकर्षित किया था और यह मत प्रकट किया था कि, "इस समय देश में आयकर को छिपाने की जो प्रवृत्ति विद्यमान है उसके

बारे में कोई दो राय नहीं है। जिस नागरिक में राष्ट्रीय भावना की कमी है वह सदा इसी प्रयास में रहता है कि राष्ट्र को खर्चों में अपने उचित देय भाग से कम ही अदा करे और यह मान लेने में कोई हर्ज नहीं है कि वह अपनी दृष्टि को सदा जारी रखेगा। यह तथ्य प्रत्येक कर के बारे में सत्य है किन्तु आयकर के बारे में तो विशेष रूप से सत्य है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में भी स्थिति लगभग ऐसी ही रही है। सन् 1936 में ही यह पाया गया था कि वशों करों के छिपाने तथा बचाने के प्रयास साहस (Boldness) तथा पटुता (Ingenuity), दोनों की ही दृष्टि से काफी विस्तृत तथा आश्चर्यजनक थे। अतः कर-वंचन तथा कर-परिहार का विचार करने के लिए एक संयुक्त समिति (Joint Committee) बनायी गयी। उससे कहा गया कि वह इस बात का पता लगाये कि आयकर, आस्तिक कर तथा उपहार करों को छिपाने तथा उनसे बचने के लिए लोग क्या-क्या तरीके काम में लाते हैं और साथ ही समिति उन बुराइयों को दूर करने के उपाय भी बताये।

फ्रांस में भी स्थिति कोई भिन्न नहीं है। वस्तुतः बड़ी मात्रा में यह भावना लोगों में व्याप्त है कि फ्रांस में कर-वंचन अन्य अधिकांश देशों की तुलना में अधिक है। यही स्थिति भारत तथा अन्य देशों में भी है।

• कर-वंचन तथा कर-परिहार में अन्तर (Distinction between Tax Evasion and Tax Avoidance)

कर-वंचन तथा कर-परिहार के बीच आमतौर पर भेद किया जाता है। कर-परिहार या कर बचाने (Tax Avoidance) से आशय ऐसी कार्यवाहियों से है जिनके द्वारा व्यक्ति कानून का अक्षरशः पालन करता हुआ भी अपने वास्तविक कर देयता (Tax Liability) को कम कर देता है और इस प्रकार वह ऐसी प्रक्रिया के द्वारा कानून की उच्च तथा भावना, दोनों का ही उल्लंघन करता है। दूसरी ओर, कर-वंचन (Tax Evasion) से आशय है कि एक व्यक्ति ने अपनी वास्तविक कर देयता के सम्बन्ध में जान-बूझकर झूठे आँकड़े देकर तथा गैर-कानूनी कार्यवाहियों करके आय को कपटपूर्ण ढंग से छिपाना।

• कर-वंचन, कर-परिहार तथा काला धन

कर-वंचन (Tax Evasion) व कर-परिहार (Tax Avoidance) से काले धन (Black Money) का जन्म होता है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से काला धन वह धन होता है जिसका कहीं कोई हिसाब-किताब नहीं रखा जाता है और जिस पर निर्धारण दर से कर नहीं दिया जाता। काले धन में वह धनराशि भी शामिल होती है जो विद्यमान कानूनी प्रावधान का उल्लंघन करके प्राप्त की जाती है।

करों की चोरी काले धन को बढ़ाती है और काला धन करों की चोरी को पुनः प्रोत्साहित करता है, क्योंकि ऐसा धन या तो बड़ी-बड़ी सम्पत्तियों में विनियोजित कर दिया जाता है या व्यापारिक कारोबार के संचालन में काम आता है। गुप्त कारोबार से प्राप्त लाभों पर कर की चोरी की जाती है जिसके कारण वह धन बराबर बढ़ता चला जाता है।

स्पष्ट है कर-वंचन (Tax Evasion) एवं कर-परिहार (Tax Avoidance) से काले धन का जन्म होता है। काले धन के वही कारण (Casues) हैं जो कर-वंचन एवं कर-परिहार के हैं।

• कर-वंचन तथा कर-परिहार के प्रभाव (Effects of Tax Evasion and Tax Avoidance)

करदाता इन दोनों तरीकों में से चाहे कोई सा भी तरीका अपनाये, अर्थात् चाहे वह कर-वंचन का सहारा ले अथवा कर-परिहार का, उनका परिणाम एक ही होता है—राज्य को आय की हानि होती है तथा ऐसे कर-दाताओं पर, जो ऐसे तरीके नहीं अपनाते, कर-भार बढ़ जाता है। इस सन्दर्भ में सन् 1937 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अमेरिकी कांग्रेस को भेजे गये अपने प्रतिवेदन में जो निष्कर्ष प्रस्तुत किये थे, वे उल्लेखनीय हैं। करदेयताओं से बचने के तरीके अनेक हैं।

1 "That evasion of income-tax exists at the present time is beyond question. The citizen who is deficient in public spirit has always aimed at paying less than his fair share of the nation's expenses, and it is safe to assume that he will always continue to do so. This may be said of every tax but it is especially true of the income-tax."

—Report of the Royal Commission of Income Tax, Page 625.

करों को छिपाने के कुछ उदाहरण तो ऐसे हैं जो कानून के रंग में रंगे हुए हैं, कुछ कानून की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से कानून के विरुद्ध हैं। तरीके चाहे जो भी हों, उनमें निम्नलिखित भाव समान हैं :

- (i) वे जान-बूझकर तथा सोच-समझ कर अपनाये जाते हैं।
- (ii) वे कानून की भावना के प्रतिकूल होते हैं।
- (iii) वे सरकारी कोष को उसके न्यायोचित व विधि-निर्धारित भाग से वंचित करते हैं।
- (iv) वे ऐसे व्यक्तियों द्वारा अपनाये जाते हैं जो विधि निर्धारित कर राशि को अदा करने के लिये सामर्थ्यवान होते हैं पर स्वार्थवश सम्बन्धित विधि को तोड़ते-मरोड़ते हैं।
- (v) वे ऐसे अवांछनीय तरीकों को अपनाकर स्वयं को कर से बचा लेते हैं पर उसका भार अन्य करदाताओं पर स्थानान्तरित हो जाता है जो कर देने में कम समर्थ हैं।

कर-वंचन की मात्रा (Extent of Tax Evasion)

इन तरीकों की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि कर-वंचन की मात्रा का पूर्णतया सही-सही मूल्यांकन कर सकता बड़ा कठिन है। किसी भी देश में ऐसा करना सम्भव नहीं हो सका है और भारत में तथा विदेशों में अनेक जाँच संस्थाओं ने इस बात को अनुभव किया है कि इस कार्य की प्रक्रिया में कितनी अधिक कठिनाइयाँ सामने आती हैं। ब्रिटेन में सन् 1920 में स्थापित शाही आयोग ने और भारत में जाँच समिति (Investigation Committee) (1947) तथा कराधान जाँच आयोग (1953-54) ने उन कठिनाइयों का उल्लेख किया है जो कर-वंचन की मात्रा का सही-सही अनुमान लगाने के मार्ग में आती हैं।

सन् 1956 में प्रो० केलडोर ने केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में दिये गए कुछ प्रायोगिक आँकड़ों के आधार पर इस देश में कर-वंचन की मात्रा का अनुमान लगाने का प्रयास किया था। उनके अनुसार, सन् 1953-54 के कर निर्धारण वर्ष में कर-वंचन के कारण सरकार को आयकर की जो हानि हुई थी यह 200 करोड़ तथा 300 करोड़ रुपये के बीच थी। इसके विपरीत, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड का मत था कि इस वर्ष में छिपाये गये करों की मात्रा 20 करोड़ से 30 करोड़ रु० के बीच होगी। परन्तु प्रो० केलडोर ने 'प्रत्यक्ष कर प्रशासन जाँच समिति' के समक्ष यह स्वीकार किया था कि उनके द्वारा प्रस्तुत अनुमानों में करों की जो हानि दिखायी गयी है, उसमें कर-वंचन ही नहीं, अपितु कर-परिहार भी सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त प्रो० केलडोर ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्पष्ट किया था कि उनके द्वारा प्रस्तुत आँकड़े केवल प्रयोग के तौर पर हैं, अतः उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण बड़ी सतर्कता एवं सावधानी से किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष कर प्रशासन जाँच समिति का यह विचार था कि कर-वंचन की मात्रा निःसन्देह काफी अधिक है, परन्तु उतनी अधिक नहीं कि जितनी प्रो० केलडोर ने बताई है।

कर-वंचन के अवसर (Opportunities of Tax Evasion)

यद्यपि कर-वंचन सामान्य रूप से नागरिकों के सभी वर्गों में प्रचलित है, परन्तु उनके द्वारा अर्जित की जाने वाली आय की प्रकृति के अनुसार इसके अवसरों में विभिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए, वेतन तथा प्रतिभूतियों के ब्याज के मामलों में कर-वंचन की सम्भावना बहुत कम रहती है, क्योंकि आयकर कर-दाता के पास आय के पहुँचने से पूर्व स्रोत पर (at source) काट लिया जाता है। किन्तु दूसरी ओर, जब आय व्यवसाय, वृत्ति या व्यापार से प्राप्त होती है तो कर-वंचन की सम्भावनाएँ अधिक होती हैं।

कर-वंचन के कारण (Causes of Tax Evasion)

कर-वंचन के कारण निम्नलिखित हैं—

(1) करों की ऊँची दरें (High Rate of Taxation)—करों की प्रचलित ऊँची दरें कर-वंचन के मुख्य कारणों में से एक हैं। आय के सर्वोच्च कोष्ठकों (brackets) में करों की ऊँची दरें केवल इसलिए सहन कर ली जाती हैं क्योंकि उस स्तर पर काफी कर-वंचन होता है। प्रत्यक्ष कर प्रशासन जाँच समिति ने भी इस बात पर अपनी सहमति प्रकट की थी और कहा था कि यद्यपि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कर की दर जितनी ऊँची होगी

कर-वंचन तथा कर-परिहार के प्रति प्रलोभन भी उतना अधिक मिलेगा, परन्तु देश में बड़ी मात्रा में जो कर-वंचन किया जा रहा है, उसके लिए एकमात्र कर की दरें ही दोषी नहीं हैं। यदि कर की दरें घटा भी दी जाएँ तो कर-वंचन किया जारी रहेगा, क्योंकि आज यह सभी स्तरों पर पाया जाता है।

(2) कर-कानूनों की जटिलता (Complexity in Tax Laws)—कहा जाता है कि प्रत्यक्ष कर अधिनियमों (Acts) की जटिल धाराएँ, जिनमें से अनेक आसानी से समझ में नहीं आती, कुछ सीमा तक कर-वंचन तथा कर-परिहार के लिए उत्तरदायी रही हैं। इन्हें समझने के लिए औसत करदाता को अनिवार्य रूप से ही कर-विशेषज्ञों की महायज्ञा में पड़ती है और उनकी सलाह सदा ही अस्वीकार नहीं होती तथा कर-वंचन व कर-परिहार में करदाता की महायज्ञा में है।

(3) कर्मचारियों की अपर्याप्त अधिकार (Inadequacy of Powers)—आयकर विभाग के कर्मचारियों को प्रदान किये जाने वाले अधिकारों की अपर्याप्तता कर-वंचन का एक अन्य कारण है। आय, धन तथा व्यय और वे सम्बन्धित तथ्य केवल करदाताओं को ही पता होते हैं। परन्तु यदि कर-दाता कर निर्धारण अधिकारों के मामले में तथ्यों को प्रकट नहीं करता है तो सही-सही कर-देयता (tax liability) निर्धारण करने का उसका कार्य बड़ा कठिन हो जाता है। यही नहीं, कर निर्धारण अधिकारी को इस सम्बन्ध में जो अधिकार मिले भी होते हैं, एक ईमानदार अधिकारी (honest officer) उनका स्वतन्त्रता के साथ इस भय से प्रयोग भी नहीं करता कि कहीं ईमानदार कर-दाता को व्यर्थ में परेशानी न हो, पर बात यह है कि केवल ईमानदार व्यक्ति ही ईमानदार की कदर कर सकता है।

(4) अनुभवी अधिकारियों की कमी (Shortage of Experienced Personnel)—कर-वंचन का एक अन्य कारण यह है कि आय-कर विभाग में अनुभवी अधिकारियों का अभाव है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि विभाग में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित एवं अनुभवी अधिकारी नियुक्त किये जाएँ, ताकि वे न केवल चार्ज मास्टर्स को ही नियंत्रित करें, अपितु कर निर्धारण तथा जाँच-पड़ताल के शेष पड़े कार्य को भी पूरा करें। इसके साथ ही साथ, विभाग के संगठन तथा उसकी कार्य-विधि में ऐसे सुधार किये जाने चाहियें ताकि उसका कार्य, कुशलता के उच्चतम स्तर पर पहुँच जाय।

(5) निवारक दण्ड का अभाव (Absence of Deterrent Punishment)—कर-वंचन के प्रचलित रहने का एक महत्वपूर्ण कारण यह बताया जाता है कि कर-वंचक (tax evaders) जब पकड़े जाते हैं तो उन्हें जेल भेजने जैसा कोई निवारक या रोषक दण्ड नहीं दिया जाता। अतः प्रत्यक्ष कर जाँच समिति ने यह सिफारिश की थी "जब तक कि सम्भावित कर-वंचकों को यह नहीं बताया जायेगा कि यदि उन्होंने करों को छिपाने को कोई भी प्रयास किया तो न केवल उन्हें दण्ड सहित कर ही चुकाना होगा, अपितु जेल भी जाना होगा, तब तक कर-वंचन के विरुद्ध कोई भी रोक कारगर सिद्ध नहीं हो सकती।" ऐसे कदमों के अभाव से कर-वंचन की वृद्धि को ही प्रोत्साहन मिलता है।

(6) प्रचार की कमी (Lack of Publicity)—व्यापक रूप से फैले हुए कर-वंचन का एक कारण प्रत्यक्ष कर अधिनियमों (Direct Taxes Acts) की गुप्त धाराओं (Secret provisions) को भी बताया जाता है। वर्तमान समय में आयकर विभाग किसी व्यक्ति की आयकर विवरणी (income tax return) अधिनियमों में उल्लिखित सीमित उद्देश्यों के लिए केवल केन्द्र व राज्य सरकार के अधिकारियों, न्यायालयों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के सामने ही प्रकट कर सकता है। विभाग पर इस बात की कानूनी रोक लगी है कि वह उपर्युक्त के अलावा विवरणी से सम्बन्धित कोई भी सूचना अन्य किसी के समक्ष प्रकट नहीं कर सकता। इस स्थिति में, यदि कर-वंचक पकड़ा भी जाता है और कार्रवाई के लिए उसे दण्डित भी किया जाता है, तो भी वह अपनी स्थिति को हर एक से छिपाकर गुला रख सकता है और लोगों की धृष्टता से अपने को बचा सकता है। जनमत का दबाव किसी भी अपराध के विरुद्ध सबसे बड़ा दण्ड होता है। अतः प्रत्यक्ष-कर अधिनियमों की गुप्त धाराओं को यदि थोड़ी मात्रा में भी मुक्ति प्रदान कर दी जाए, तो कर-वंचन को रोकने में उससे काफी सहायता मिल सकती है।²

2 The pressure of public opinion is a major deterrent against any offence and if the secret provision of the Direct Taxes Acts are relaxed even to a limited extent, they will go a long way towards checking tax evasion.
—Report of the Direct Taxes Administration Enquiry Committee

नैतिक व मनोवैज्ञानिक तत्व (Moral and Psychological Factors)—कहा जाता है कि कुछ नैतिक व मनोवैज्ञानिक तत्व भी देश में कर-वंचन के लिए उत्तरदायी हैं। दुर्भाग्य से, सभी नागरिक इस बात को अनुभव करते हैं कि राज्य के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं और यह कि करों की सही धनराशि और वह भी समय पर चुगतान करने की कितनी अधिक आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में किसी सुधार की अपेक्षा केवल तभी की जा सकती है जबकि देश में नैतिक मान्यताएँ ऊँची उठें और नागरिक चेतना का अधिक विकास हो।

(8) आयकर विभाग का रवैया (Attitude of Income Tax Department)—इस विषय में भी कोई दो संदेह नहीं है कि कर-वंचन की जो स्थिति अब चल रही है उसके लिए आयकर विभाग भी कम उत्तरदायी नहीं है। देखा जाता है कि यदि कर-दाता अपनी विवरणी (return) में अपनी आय तथा सम्पत्ति आदि का सही विवरण दे रहा होता है और उनके सम्बन्ध में प्रमाण भी प्रस्तुत कर देता है, तो भी कर निर्धारण अधिकारी (assessing officer) उनको प्रायः स्वीकार नहीं करते। विभाग के इस प्रतिकूल रविये के कारण कमी-कमी तो कर दाता अपनी विवरणी में आय तथा सम्पत्ति आदि को कम दिखाने को विवश हो जाते हैं। कर निर्धारण अधिकारियों तथा कर-दाताओं के बीच प्रथा जाने वाला यह पारस्परिक अविश्वास भी कुछ सीमा तक कर-वंचन को जन्म देता है। अतः यह अविश्वास ही समाप्त होना ही चाहिए। इस दिशा में प्रशासन को पहल करनी चाहिए और कर-दाताओं को विश्वास करके न्याय का उचित व्यवहार को उच्च भावना का प्रदर्शन करना चाहिए।

(9) विभाग के अधिकारी निष्ठावान व्यक्ति होने चाहिए (Officers of the Department should be Men of Integrity)—यह भी कहा जाता है कि आयकर विभाग के कुछ अधिकारियों में सत्यनिष्ठा (Integrity) का अभाव भी कर-वंचन के लिए आंशिक रूप से जिम्मेवार है। श्री महावीर त्यागी की अभ्यक्षता में बनाई गई प्रत्यक्ष कर प्रशासन जाँच समिति ने भी इस बात पर जोर दिया था और कहा था कि, "विभाग के अधिकारी न केवल ईमानदार होने चाहिए अपितु वे किसी भी प्रकार के सन्देह से परे होने चाहिए और उन्हें अपने निजी तथा सरकारी कार्यों को स्पष्ट करते समय अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए कि उनके किसी भी कार्य के प्रति 'डंगली' न उठाई जा सके।"

कर-परिहार तथा कर-वंचन को रोकने के तरीके (Methods of Checking Tax Avoidance and Tax Evasion)

कर-परिहार को रोकने के लिए अपनाये जाने वाले तरीके उन तरीकों से भिन्न होते हैं जोकि कर-वंचन को रोकने के लिए आवश्यक होते हैं। कर-परिहार (tax avoidance) को केवल तभी रोका जा सकता है जबकि कानून में विद्यमान दोषों को दूर कर दिया जाए और नये बन्दे बाले सभी कानूनों की रूपरेखा अत्यन्त सावधानी से बाईं जाए। दूसरी ओर कर-वंचन (tax evasion) को तब समाप्त किया जा सकता है जब आयकर विभाग के प्रशासन को दृढ़ एवं शक्तिशाली बनाया जाए और यदि कर-वंचक (tax evader) पकड़ा जाए तो उसे जेल भेजने जैसा निवारक या रोधक दण्ड (deterrent punishment) दिया जाए। कर-वंचन के मामलों को खोज तथा जाँच-पड़ताल करने में करदाताओं को कुछ असुविधाएँ भी हो सकती हैं किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा होना अनिवार्य ही है। किन्तु इस सबके बावजूद विभाग की वर्तमान परिस्थितियों में अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए कि जिससे बेईमान व्यक्ति कानून की पकड़ से बचकर न निकल सकें और साथ ही, ईमानदार करदाताओं के मन में यह भावना भी उत्पन्न न हो कि उनके शब्दों तथा लिखित सूचना पर विश्वास नहीं किया जा रहा है वरन् उनकी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आयकर से सम्बन्धित प्रचलित कानूनों में भी ऐसा सुधार किया जाना चाहिए, जिससे कि उनमें पाये जाने वाले छिद्र (loopholes) धरे जा सकें और उनका अनुचित लाभ न उठाया जा सके।

प्रत्यक्ष कर प्रशासन जाँच समिति का यह विचार था कि कर-वंचन को कारणर ढंग से तभी रोका जा सकता है जबकि करदाता की आय तथा सम्पत्ति आदि से सम्बन्धित उन सूचनाओं को सार्वजनिक बना दिया जाए, जोकि उसने अपनी विवरणी में दी हों। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार निम्नलिखित दो उपायों में से किसी को भी अपना सकती है—

- (1) एक विशिष्ट फ़ीस अदा किये जाने पर जनता के किसी भी व्यक्ति की कर-दाता द्वारा अपनी विवरणी में घोषित आय तथा धन आदि की सूचना देना।

(2) सभी करदाताओं अथवा निश्चित आय से ऊपर के कर-दाताओं के नाम तथा उनके द्वारा घोषित आय, सम्पत्ति व आय का विवरण प्रतिवर्ष एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कराना।

तथापि कर-वंचन के प्रयत्नों पर रोधक प्रभाव डालने की दृष्टि से यह उचित होगा कि आयकर कमिश्नर द्वारा ऐसे सभी लोगों के नाम सरकारी गजट में तथा समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराये जाएं जिन पर आय, सम्पत्ति तथा व्यय आदि को छिपाने के अपराध में 5000 रुपये या इससे अधिक जुर्माना किया गया हो। ऐसे व्यक्तियों के नामों के साथ उनके पते तथा जुर्माने की रकम भी छपी जानी चाहिए। यदि कर-दाता की कोई कम्पनी या फर्म हो तो कम्पनी के सभी डायरेक्टरों अथवा फर्म के सभी साझेदारों (partners) के नाम भी प्रकाशित किये जाने चाहियें।

कुछ अन्य सुझाव (Some Other Suggestions)

- कर-वंचन को रोकने के सम्बन्ध में दिये जाने वाले कुछ अन्य सुझाव निम्न प्रकार हैं—(1) प्रत्यक्ष करों के संग्रह के वास्तविक उद्देश्यों के बारे में समाचार-पत्रों, रेडियो तथा सिनेमा की फिल्मों के माध्यम से जनता को शिक्षित किया जाना चाहिए।
 - (2) करदाताओं को इस विषय में सन्तुष्ट करने के लिए पग उठाये जाने चाहियें कि करों के रूप में जो धन इकट्ठा किया जा रहा है उसे बेकार खर्च न करके उसका समुचित उपयोग किया जायेगा।
 - (3) ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार सरकारी संरक्षण या मान्यता नहीं प्रदान की जानी चाहिए, जिं कर छिपाने के लिए दण्डित किया गया हो अथवा जिनके मामलों में अभियोगजनक कार्यवाहियाँ की गई हों।
 - (4) कर-वंचकों के साथ कठोर व्यवहार किया जाना चाहिए और उनके मामले आम जनता की जानकारी में लाए जाने चाहिये।
 - (5) जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेताओं का सहयोग प्राप्त करके जन-जागरण का विशेष अभियान (special drive) चलाया जाना चाहिए।
- (इसी आध्याय में दी गई जाँच समिति की रिपोर्ट से सम्बन्धित सिफारिशें भी देखिये।)

वान्चू समिति की सिफारिशें (Recommendations of K.N. Wanchoo Committee)

भारत सरकार ने न्यायाधीश श्री के० एन० वान्चू की अध्यक्षता में मार्च 1970 में एक समिति गठित की जो प्रत्यक्ष कर जाँच समिति (Direct Taxation Enquiry Committee) के नाम से प्रसिद्ध है। इस समिति से निम्नांकित मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देने को कहा गया था :

- (1) काले धन को बाहर निकालने के लिए ठोस और प्रभावी सिफारिशें करे।
- (2) कर-वंचन तथा कानूनी ढंग से कर से छुटकारा पाने के बढ़ते हुए तरीकों को रोकने के लिए ठोस और प्रभावी सिफारिशें करे।
- (3) कर विधान द्वारा दी गई विभिन्न कर छूटों का निरीक्षण करे तथा बताये कि इनमें किस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है।
- (4) कर निर्धारण और कर प्रशासन को उन्नत करने के लिए अपने सुझाव दे।

कर-वंचन तथा काले धन के सम्बन्ध में वान्चू समिति की सिफारिशें

वान्चू समिति का कहना था कि कर-वंचन और काले धन में बड़ा घनिष्ठ और गहरा सम्बन्ध है। कर-वंचन से काले धन की उत्पत्ति होती है तथा काले धन के द्वारा छिपे रूप में व्यापार करने से और अधिक आय प्राप्त की जाती है जिससे और अधिक कर-वंचन होता है।

समिति ने कर-वंचन और काले धन की उत्पत्ति के निम्नलिखित मुख्य कारण बताये—

- (1) प्रत्यक्ष कर अधिनियम के अन्तर्गत कराधान की ऊँची दरें।

- (2) अभाव की अर्थव्यवस्था में लागू की गई नियन्त्रण एवं लाइसेन्स प्रणाली।
- (3) राजनैतिक दलों को दिये जाने वाले दान।
- (4) भ्रष्ट व्यापार-व्यवहार।
- (5) व्यापारिक खर्चों पर लगाई गई अधिकतम सीमा और इन खर्चों को आयकर से छूट न देना।
- (6) बिक्री-कर एवं अन्य शुल्कों की ऊँची दरें।
- (7) कर अधिनियमों को लागू करने में बहुत अधिक ढीला।
- (8) नैतिक स्तर का पतन।

कर-वंचन रोकने के लिए समिति की सिफारिशें

- (1) क्योंकि समिति का विचार था कि कर की ऊँची दरें कर-वंचन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है इसलिए समिति ने सिफारिश की कि आयकर की वर्तमान अधिकतम दर 97.5 प्रतिशत को कम करके 75 प्रतिशत पर लाना चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि मध्यम और निम्न स्तरों पर भी कर की दरों को कम किया जाना चाहिए।
- (2) क्योंकि कृषि आय केन्द्र सरकार के कर-जाल से बाहर है, इस कारण यह गैर-कृषि क्षेत्र की आय को छिपाने में सहायता करती है। अतः समिति की यह राय थी कि कृषि आय पर अन्य प्रकार की आय की भाँति एक समान कर लगाया जाए, जिससे इस प्रकार के कर-वंचन को रोका जा सके।
- (3) वर्तमान बिक्री-कर का जहाँ तक सम्भव हो, उत्पादन शुल्क द्वारा प्रतिस्थापन कर देना चाहिए।
- (4) आय कर प्राधिकारियों और बिक्री कर प्राधिकारियों में अधिक तालमेल होना चाहिए, जिससे वे कर-वंचन सम्बन्धी तथा आय सम्बन्धी आँकड़े एक-दूसरे से प्राप्त कर सकें।
- (5) विभिन्न पेशों में काम करने वाले व्यक्तियों को अपने लेखे तैयार करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करना चाहिए।
- (6) देश के सभी कर-दाताओं की सूची बनानी चाहिए, जिससे कर-दाता सम्बन्धी आँकड़े इकट्ठे करने में आसानी होगी।
- (7) आयकर अधिकारी को करदाता के निवास स्थान पर जाकर नगदी गिनने, स्टॉक चैक करने तथा खातों एवं प्रलेखों का निरीक्षण करने की अनुमति होनी चाहिए।
- (8) स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत जायदाद के मूल्यांकन के लिए उचित मशीनरी की व्यवस्था की जाए जिससे अचल सम्पत्ति में काले धन के विनियोग को हतोत्साहित करने में सहायता मिले।
- (9) समिति ने निगम क्षेत्र के कर ढाँचे में संशोधन करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। इस सम्बन्ध में समिति ने सिफारिश की है कि इसमें विभिन्न कम्पनियों पर लगाई गई विभिन्न दरों की अपेक्षा सभी कम्पनियों पर एक-सी दर (अर्थात् 55 प्रतिशत) लगानी चाहिए।
- (10) समिति ने नगर क्षेत्र के लिए पुनर्निर्माण एवं स्थानीकरण रक्षित कोष की स्थापना का सुझाव दिया है। सभी कम्पनियाँ इस कोष में अपनी कुल आय का 10 प्रतिशत तक का योगदान कर सकें। इस राशि पर पूँजी कर न लेकर 6 प्रतिशत ब्याज भी देने को कहा है।
- (11) समिति ने यह भी सिफारिश की है कि कम्पनियों को यह स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वे अपनी जमा का 50 प्रतिशत इमारतों, प्लान्ट और मशीनरी की मरम्मत और अनुसन्धान पर व्यय के लिए वापस ले सकती हैं अर्थात् व्यय-कर सकती हैं।